

भारत सरकार  
संचार मंत्रालय  
दूरसंचार विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1632  
उत्तर देने की तारीख 10 दिसम्बर, 2025

डिजिटल अवसंरचना

1632. श्री प्रवीण पटेल:

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) सरकार द्वारा देश के जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में खराब कनेक्टिविटी की समस्या के समाधान हेतु मोबाइल टावरों की स्थापना में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) यूएसओएफ ने डिजिटल अवसंरचना को, मजबूत करने में किस प्रकार योगदान दिया है;
- (ङ) उक्त निधि के अंतर्गत कौन-कौन सी उल्लेखनीय परियोजनाएं कार्यान्वित की जा सकती हैं/उपलब्धियां दर्ज की जा सकती हैं; और
- (च) राजस्थान में लाभार्थियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 की संख्या 44) के अनुसार सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) का नाम बदलकर "डिजिटल भारत निधि" (डीबीएन) कर दिया गया है और इस अधिनियम में यथा परिभाषित डीबीएन द्वारा प्राप्त आय का उपयोग करने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- (i) अल्पसेवित ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के अभिगम और प्रदायगी को बढ़ावा देकर सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करना;

- (ii) दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के अनुसंधान और विकास का समर्थन करना;
- (iii) इस धारा के खंड (i) के तहत सेवा उपलब्ध कराने के लिए पायलट परियोजनाओं, परामर्श सहायता और सलाहकार सहयोग का समर्थन करना;
- (iv) दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का शुभारंभ करने में सहायता करना।

(ख) से (ड) देश में ग्रामीण क्षेत्रों सहित ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। अक्टूबर-2025 तक; देश में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 2,14,843 ग्राम पंचायतों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार कर दिया गया है और 13,66,753 फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा दिनांक 04.08.2023 को अनुमोदित संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) भारतनेट चरण- I और चरण- II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, शेष ग्राम पंचायतों में नेटवर्क के सृजन और बिना ग्राम पंचायत वाले शेष गावों में उनकी संबंधित ग्राम पंचायतों (जीपी) से मांग के आधार पर कार्यान्वयन के अधीन है।

सरकार द्वारा देश के जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में खराब मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान करने के लिए कई लक्षित मोबाइल टावर परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 4जी सेचुरेशन स्कीम और अन्य मोबाइल परियोजनाओं के तहत अक्टूबर-2025 तक जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश में सरकार द्वारा वित्तपोषित विभिन्न मोबाइल परियोजनाओं के तहत 22,987 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं।

(च) राजस्थान में ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी, उप-केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी)/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी)/पशु चिकित्सा अस्पताल, पुलिस स्टेशन, कृषि डिपो, डाकघर आदि जैसी सरकारी संस्थाएं, निजी व्यक्ति और संस्थान, ग्रामीण परिवार और अन्य इन दूरसंचार सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं।

\*\*\*\*\*